161

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक निग. 3766-पी/15 /2015 जिला–दतिया

कृष्णकान्त लिटोरिया पुत्र रामकिशोर लिटोरिया निवासी पस्तोर वाली गली पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास दतिया (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)
2. रामसहाय छिरौल्या, एडवोकेट, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद छिरौल्या, निवासी पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास, बड़ा बाजार, दतिया (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 19.11.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.11.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 265 /2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि रकवा 402 को नजूलभूमि घोषित किये जाने का आदेश अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जबकि उक्त आदेश के पारित करने से पूर्व आवेदक को सूचना सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी उस समय हुयी जब नजूल भूमि के अतिक्रमण की शिकायत आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। उक्त शिकायत के आधार पर तहसीलदार दतिया द्वारा आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया जो उसे दिनांक 01.05.2014 को प्राप्त हुआ। तत्काल दिनांक 01.05.2014 को भू–खण्ड क्रमांक 440 का अक्श एवं नजूल शीट तथा अंतिम आदेश की प्रतिलिपी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3766/दो/2015 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 265/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि रकवा 402 को नजूल घोषित किये जाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया है, जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी, तब रसीद की फोटो प्रति के साथ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा	

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 2483/एक/14 प्रस्तुत किया था जो आदेश दिनांक 16.04.2015 को स्वीकार किया गया और प्रकरण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, इसी बीच उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2598/2015 में निर्देश दिये गये कि प्रकरण का निराकरण हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुण–दोषों पर निराकरण किया जाये। उपरोक्त आदेश के पालन में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2015 पारित कर आदेश दिया कि आवेदक को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है और उनकी ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य नहीं है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने

	योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि तहसीलदार के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसमें आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है, जिसमें उसे साक्ष्य का सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.06.2002 के विरूद्ध आवेदक को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता, इसलिए अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है, जबकि आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लेख किया था कि आवेदक के पिता के पूर्वज सीताराम लिटोलिया द्वारा दिनांक 13.10.1940 को भू–खण्ड दतिया रियासत के समय में लिया गया था, जिसके पश्चात् आज दिनांक तक उनको कब्जा चला आ रहा है। जैसा कि एन. एम.एस. राजस्व निरीक्षक नजूल जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2014 में उल्लेख किया है कि विवादित भू–खण्ड आवेदक का पुश्तैनी स्वामित्व का है और पीढी दर पीढी आवेदक द्वारा उसका उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शासकीय भूमि होना अथवा उसका अतिक्रमण होने का प्रश्न ही	

नहीं है, अतः संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत आवेदक के विरूद्ध शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया तथा अपील को अवधि वाह्य माना है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों में स्पष्ट किया है कि प्रकरण का निराकरण, प्रकरण के गुण दोषों पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा वर्तमान प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया है। किन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की है, अंत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र.2

	की ओर से की गयी शिकायत के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। जिसमें आवेदक को किसी भी प्रकार का सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है और एकपक्षीय जांच की जाकर आदेश दिनांक 28.06.2002 पारित कर भूमि को शासकीय खुली भूमि घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में 2007(2) एस.सी.सी.181, 2008(14) एस.सी.सी.151 एवं ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1216, ए.आई.आर. 1981 एस. सी. 136 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, सुनवाई का अवसर दिये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत नहीं है। विवादित भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से दिनांक 13.10.1940 को दतिया रियासत के समय में क्रय की गयी थी, तब उसका निरंतर कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में एन.एम.एस. राजस्व निरीक्षक नजूल का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2014 से स्पष्ट है। भू खण्ड सर्वे क्रमांक 1400, नजूल शीट क्रमांक 27 से भू–खण्ड क्रमांक 440 आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य	

की भूमि है, जिसके संबंध में उसके द्वारा निरंतर टैक्स जमा किया जाता है। रसीदें अभिलेख में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 2 शिकायत के आधार पर प्रकरण में जो कार्यवाही एकपक्षीय रूप से विचारण न्यायालय की गयी है, वह त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 एवं कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/अ-20(1)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2002 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते है एवं आवेदक के नाम की पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने के निर्देश सक्षम न्यायालय को दिये जाते हैं।

सदस्य